COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

164

C-FB131

न्यायालय-राजस्व मण्डल म०प्र०, ग्वालियर

प्र०क्र० /२००८ रिवीजन

R-1328-I/08

चन्द्रप्रकाश शर्मा पुत्र नाथूराम, आयु ४५ वर्ष,
निवासी ग्राम भिटी तहसील व जिला दतिया
(मध्यप्रदेश) - आवेदक

बनाम

१) नाथूराम पुत्र ज्वालाप्रसाद शर्मा
२) शिवराम
३) नवल
४) महेश
५) रामप्रकाश

सभी पुत्रगण श्री नाथूराम शर्मा, निवासी ग्राम भिटी,
तहसील व जिला दतिया (मध्यप्रदेश) -अनावेदकगण

द्वारा आज दि० 24-10-08 को प्रस्तुत।

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०भू०रा०संहिता १९५९ विरुद्ध आदेश दिनांक २२।६।२००८ व्दारा पारित अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, प्रकरण क्रमांक २४१।२००७-०८ अपील।

- - - -

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१) यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण ने नायब तहसीलदार वृत वरगांय जिला दतिया के समक्ष भू-राजस्व संहिता की धारा १७८ के तहत बंटवारा आवेदनपत्र प्रस्तुत किया और उक्त अनावेदकगण के कहे अनुसार नायब तहसीलदार व्दारा दिनांक २२।१।०७ को बंटवारा स्वीकार कर लिया और आवेदक को मात्र ०.६३ रकबा भूमि दी गई।

२) यह कि, नायब तहसीलदार के उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदक ने अपनी प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने अपील इस आधार पर अमान्य की कि अपील ३ माह से अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी के

शेष-२/पर

373 राहुल तिवारी शपथ आयुक्त ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

Tahsildar तहसीलदार

K 1328-I/08 दाखिल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
17.1.17	आवेदक को तीन बार पुकार लगाई गई परन्तु कोई उप० नहीं। अना. की ओर से अधि० श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उप०। आवेदक की अनु रहने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पश्चात् सूचित हो। अभिलेख [illegible] भेजा जावे।	

[illegible]